



देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
गरवी गुजरात हिंदी चैनल देखिये

सम्पादकीय

प्रशासनिक प्रक्रिया के उलझाव में अटकी धवस्तीकरण कार्यवाई

जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रादेश होने के कारण सत्ता राज्य और केंद्र दोनों में विभाजित है, यही कारण है कि जब भी कोई फैसला उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के कार्यालय से आता है तो राज्य सरकार पल्ला झाड़ लेती है और यदि कोई आदेश मुख्यमंत्री कार्यालय से आता है तो उपराज्यपाल कार्यालय चुप्पी साध लेता है। इसका परिणाम यह होता है कि राज्य के प्रशासनिक अधिकारी अपने मनमर्जी से फैसले भी ले रहे हैं और उसे लागू करके लोगों को चौंका रहे हैं। अभी बृहस्पतिवार को जम्मू के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित एक पत्रकार का घर जम्मू-विकास प्राधिकरण यानि जेडीए ने ध्वस्त कर दिया। राज्य सरकार का कोई बड़ा-छोटा मंत्री या मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोला। किन्तु जब शुक्रवार और शनिवार को हंगामा बढ़ गया तो भाजपा के नेता रविन्दर रैना ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात की, पता चला कि वहां से ध्वस्तीकरण का कोई भी आदेश जारी नहीं हुआ था। अब भाजपा के लोगों ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि जेडीए की कार्रवाई हो रही है और प्रतिदिन अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के दौरान ध्वस्तीकरण हो रहे हैं लेकिन मुख्यमंत्री गहरी निन्द्रा में होने के कारण किसी के भी खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इस आलोचना के बाद राज्य सरकार के उपमुख्यमंत्री सुरिन्दर चौधरी सामने आए और उन्होंने राज्य सरकार की तरफ से सफाई दी कि पत्रकार का घर गिराने का आदेश मुख्यमंत्री ने नहीं दिया। दरअसल राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। यदि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जम्मू में तेजी से चल रही है तो किसी का भी घर कार्रवाई के दायरे में आ सकता है। जब भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्राधिकरण के लोग लेते हैं तो इसकी जानकारी केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल के सचिव, मुख्यमंत्री के प्राधान सचिव, राज्य के मुख्य सचिव एवं राज्य के पुलिस प्राुख को अवश्य होती है क्योंकि प्राधिकरण के आयुक्त कार्रवाई के पहले उक्त अधिकारियों को सूचित करने के लिए प्रशासनिक प्राक्रिया के तहत बाध्य हैं। ऐसे में उपरोक्त कोई भी जिम्मेदार अधिकारी इस बात से इंकार कर ही नहीं सकता कि पत्रकार डैंग के घर के ध्वस्तीकरण की पूर्व सूचना उसे नहीं थी। उपमुख्यमंत्री सुरिन्दर चौधरी ने जिस तरह दावा किया कि मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश ही नहीं था फिर पत्रकार का घर कैसे ध्वस्त हुआ? चौधरी ने यह भी कहा कि ध्वस्तीकरण में सहयोग पुलिस ने दिया और पुलिस उपराज्यपाल के तहत है, इसलिए उपराज्यपाल को जांच करानी चाहिए कि ध्वस्तीकरण का यह आदेश किसने दिया? सच तो यह है कि डैंग के घर गिरने के बाद अब राज्य सरकार यह साबित करना चाहती है कि उसने इस संदर्भ में कोई निर्देश नहीं दिया। बिचवुल सही न तो मुख्यमंत्री इस तरह का निर्देश देते और न ही उपराज्यपाल। निर्देश तो तीसरे सबसे बड़े अधिकारी राज्य के मुख्य सचिव भी नहीं देते। निर्देश तो जारी होता है विकास प्राधिकरण के कार्यालय से और तत्संबंधी सूचनाएं ही भेजी जाती हैं। उपमुख्यमंत्री के दावे मात्र नेताजी की राजनीतिक अभिनय है। पहले तो एक सामान्य पत्रकार की चिन्ता नहीं की गई और अब अपने बचाव में भ्रामक बयान दिए जा रहे हैं। हैरानी की बात है कि यदि पत्रकार डैंग का घर अवैध रूप से अतिक्रमण करके बनाया गया था तो जम्मू की स्थानीय निकाय के अधिकारी और कर्मचारी क्या कर रहे थे। बहरहाल यह घटना सरकार के लिए बहुत छेटी है किन्तु एक पत्रकार जो समाज का सामान्य प्राणी है, उसके लिए तो बहुत बड़ी विपत्ति की स्थिति है। कुछ राज्यों को छोड़कर पत्रकार सरकार की नजरों में इसी तरह उपेक्षा के शिकार हैं। जब तक सरकारें पत्रकारों के पाति संवेदनशील नहीं होंगी, पत्रकारों के प्रति इसी तरह अधिकारी अनियंत्रित होकर कार्रवाई करते रहेंगे। यदि अधिकारी यह समझ पाएं कि पत्रकार का घर ध्वस्त करने पर उसी के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी तो अधिकारी भी पत्रकारों के प्रति संवेदनशील हो जाएंगे। आश्चर्य की बात तो यह है कि जो पत्रकार लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा कराने के माध्यम माने जाते हैं, उन्हें भी शासकीय तंत्र के संवेदनहीनता का शिकार होना पड़ता है।

कोयला मंत्रालय ने कुशल और टिकाऊ कोयला अन्वेषण को बढ़ावा देने के लिए 'अन्वेषण कार्यक्रमों और भूवैज्ञानिक रिपोर्टों' के लिए सरल अनुमोदन कार्यप्रणाली की शुरुआत की

(जीएनएस)। देश की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए कोयला और लिग्नाइट संसाधनों का तेज, अधिक कुशल और तकनीकी रूप से अन्वेषण आवश्यक है। कोयला मंत्रालय ऊर्जा की राष्ट्रीय आवश्यकता के अनुरूप, पारदर्शिता बढ़ाने, निजी क्षेत्र की भागीदारी को मजबूत करने और देश की ऊर्जा तैयारियों को सुदृढ़ करने हेतु प्रगतिशील सुधार लागू करता रहता है। यह पहल देश के लिए प्रक्रियाओं के आधुनिकीकरण और अन्वेषण इको सिस्ेम को मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता को स्पष्ट करती है।

कोयला मंत्रालय ने पहले की कार्यप्रणाली की समीक्षा की है और

दूरसंचार विभाग ने मोबाइल हैंडसेट की वास्तविकता जांचने के लिए उसमें संचार साथी ऐप पहले से इंस्टॉल करने के निर्देश जारी किए

■ इंस्टॉल ऐप पहली बार ओपन करते समय उपयोगकर्ताओं को दिखने चाहिए और वे सुगम तथा कार्य सक्षम होने चाहिए

■ निमार्ताओं को सुनिश्चित करना होगा कि डिवाइस सेटअप के दौरान ऐप आसानी से सुलभ हो और इसके फीचर डिसेबल्ड या प्रतिबंधित न हो

■ संबंधित अनुपालन रिपोर्ट 120 दिनों में देनी होगी

(जीएनएस)। नकली मोबाइल हैंडसेट खरीदने से लोगों को बचाने, दूरसंचार संस्थापनों के संदिग्ध इस्तेमाल की आसानी से सूचना देने और संचार साथी पहल प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए, दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार साइबर सुरक्षा प्रावधानों के तहत 28 नवम्बर, 2025 को निर्देश जारी कर देश में उपयोग के लिए मोबाइल हैंडसेट निमार्ताओं और आयातकों के लिए निम्नलिखित नियम अनिवार्य कर दिए हैं :

सुनिश्चित किया जाए कि देश में उपयोग के लिए निर्मित या आयातित सभी मोबाइल हैंडसेटों पर संचार साथी मोबाइल एप्लीकेशन पहले से इंस्टॉल हो।

सुनिश्चित किया जाए कि देश में उपयोग के लिए निर्मित या आयातित सभी मोबाइल हैंडसेट की वास्तविकता जांचने के माध्यम से पूरी क्षमता और बिना किसी प्रतिबंध के उपलब्ध हों।

पहले से निर्मित ऐसे सभी उपकरणों और भारत में बिक्री हेतु मोबाइल हैंडसेट के निमार्ता और आयातक सॉफ्टवेयर अपडेट द्वारा इस ऐप का इस्तेमाल आगे बढ़ाने का प्रयास करें।

निर्देशों में 90 दिनों में इसे कार्यान्वित करने और 120 दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है।

संचार साथी पहल : दूरसंचार विभाग ने साइबर धोखाधड़ी में दूरसंचार संस्थापनों के दुरुपयोग रोकने और दूरसंचार साइबर सुरक्षा सुनिश्चित

राज्यसभा के सभापति श्री सी.पी. राधाकृष्णन के अभिनंदन के दौरान पीएम मोदी का वक्तव्य

श्री सी.पी. राधाकृष्णन जी एक साधारण कृषक पृष्ठभूमि से आते हैं और उन्होंने अपना पूरा जीवन जन सेवा के लिए समर्पित किया है: प्रधानमंत्री सेवा, समर्पण और संयम श्री सी.पी. राधाकृष्णन जी के व्यक्तित्व का अभिन्न अंग रहे हैं: प्रधानमंत्री (जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज पहली बार राज्यसभा की अध्यक्षता करने पर उपराष्ट्रपति श्री सी.पी. राधाकृष्णन का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने इस दिन को राज्यसभा के सभी माननीय सदस्यों के लिए गौरव का क्षण बताया। सभापति का हार्दिक स्वागत करते हुए, श्री मोदी ने कहा, "इस सदन की ओर से और अपनी ओर से, मैं आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं आपको यह भी विश्वास दिलाता हूं कि इस उच्च सदन के सभी माननीय सदस्य इस प्रतिष्ठित संस्था की गरिमा को सदैव

(जीएनएस)। संस्कृति मंत्रालय द्वारा कला संस्कृति विकास योजना (केएसवीवाई) नामक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम संचालित की जाती है, जिसमें शामिल विभिन्न स्कीम घटकों के माध्यम से महाराष्ट्र राज्य सहित देश की पारंपरिक कलाओं और विभिन्न प्रकार की मंच कलाओं में अभ्यासरत संगठनों/कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन स्कीमों का संक्षिप्त ब्यौरा अनुलग्नक-क पर दिया गया है। विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत देश भर में राज्य-वार प्रदान की गई वित्तीय सहायता की राशि और सहायता प्राप्त सांस्कृतिक संगठनों/व्यक्तियों की संख्या का ब्यौरा अनुलग्नक-क्क्रपर दिया गया है।

संस्कृति मंत्रालय द्वारा कला एवं संस्कृति से संबंधित स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कोई वित्तीय योजना संचालित नहीं की जाती है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक

मान्यता प्राप्त निजी पूर्वेक्षण एजेंसियों की क्षमताओं का विस्तार और उपयोग करके, सरकार ने निजी अन्वेषण संस्थाओं में विश्वास ँ यव' त किया है। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य देश के कोयला संसाधनों के सतत विकास के लिए उनकी दक्षता, तकनीकी विशेषज्ञता और नवाचार का उपयोग करना है, साथ ही पारदर्शिता और उच्च तकनीकी मानकों का पालन सुनिश्चित करना है। भूवैज्ञानिक रिपोर्ट के अनुमोदन प्रक्रिया में कम से कम क्षेत्र में व्यापार सुगमता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कोयला मंत्रालय द्वारा प्रकाशित नई कार्यप्रणाली इसकी वेबसाइट पर हाल ही में किए गए सुधारों में,

अनुपालन सुनिश्चित करें। फर्जी या नकली आईएमईआई वाले मोबाइल हैंडसेट दूरसंचार साइबर सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन जाते हैं। दूरसंचार नेटवर्क में नकली/छेड़छाड़युक्त आईएमईआई के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जहां अन्य सुविधाएं जैसे संदिग्ध धोखाधड़ी संचार, खोए/चोरी हुए मोबाइल हैंडसेट की रिपोर्ट करने, अपने नाम पर मोबाइल कनेक्शन की जांच करने, बैंकों/वित्तीय संस्थानों के विश्वसनीय संपर्क विवरण आदि की भी सहूलियत प्रदान करता है।

दूरसंचार सेवा नियमों के तहत केंद्र सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान संख्या युक्त दूरसंचार उपकरणों के निमार्ताओं को छेड़छाड़ किए गए दूरसंचार उपकरणों या आईएमईआई संख्या से संबंधित निर्देश जारी करने का अधिकार है। इसमें यह अनिवार्य है कि निमार्ता या आयातक नियम प्रभावशीलता के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों का

अनुपालन सुनिश्चित करें। फर्जी या नकली आईएमईआई वाले मोबाइल हैंडसेट दूरसंचार साइबर सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन जाते हैं। दूरसंचार नेटवर्क में नकली/छेड़छाड़युक्त आईएमईआई के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जहां अलग-अलग स्थानों पर एक ही अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान संख्या युक्त अलग-अलग हैंडसेट सक्रिय होते हैं और इन्के विरुद्ध बैंकों/वित्तीय संस्थानों के विश्वसनीय संपर्क विवरण आदि की भी सहूलियत प्रदान करता है। ऐसे मामले भी देखे गए हैं कि इनमें चोरी, गुप्तशुदा या ब्लैकलिस्ट किए गए उपकरण दोबारा बेचे जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में इन मोबाइलों को खरीदने वाला भी अपराध में भागीदार बन जाता है और उसे आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। ब्लॉक/प्रतिबंधित सूची में डाले गए आईएमईआई की जांच संचार साथी ऐप से की जा सकती है।

ऐतिहासिक रूप से अत्यधिक कार्यनिष्पादन करने वाली संस्था में बदलने में उनकी उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना और पुडुचेरी में राज्यपाल और उपराज्यपाल के रूप में



उनकी समर्पित सेवा की भी सराहना की। प्रधानमंत्री ने झारखंड के आदिवासी समुदायों के साथ उनके गहन जुड़ाव की विशेष रूप से प्रशंसा की, जहां वे अक्सर दूर-दराज के गांवों की यात्रा करते थे और लोगों की जरूरतों को समझने के लिए छोटी-छोटी बस्तियों में रात बिताते थे।

पारंपरिक कलाकारों को वित्तीय सहायता

कार्यक्रमों का नियमित रूप से आयोजन करते हैं। इसके लिए वे पूरे भारत से लोक/जनजातीय कलाकारों को शामिल करते हैं जो इन कार्यक्रमों



के दौरान अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं।

यह जानकारी केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

अनुलग्नक-क गुरु-शिष्य परंपरा के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता (रेपटरी अनुदान) इस योजना का उद्देश' य नाट्य

चित्रनगरी संवाद मंच मुम्बई का मुशायरा

मुम्बई के रंगशारदा सभागार में आयोजित इंशाद के "नस्ल ए नौ भारत" मुशायरे का खुमार अभी उतरा भी नहीं था कि अगले दिन चित्रनगरी संवाद मंच में भी जोरदार मुशायरा हो गया। हँसी, ठहाकों और तालियों की गूँज के दौरान कुछ शायरों ने इतने उम्दा कलाम पढ़े कि सामथीन ने खड़े होकर उनका इस्तकवाल किया। इस धनक काव्य उत्सव में शामिल शायरों के नाम हैं - डॉ जुवेर अंसारी (लखनऊ), सुजीत सहगल 'हासिल' (धरमशाला), सोनू पाटिल (नागपुर), आशुतोष मिश्रा 'अजल' (दिल्ली), अलंकृत श्रीवास्तव (दिल्ली), हर्षल 'गाफिल' (पुणे), आयुष कश्यप (दिल्ली), कुमार कौशल (बरेली). इंशाद फाउंडेशन के प्रवर्तक नवीन जोशी 'नवा' के सान्निध्य में आयोजित इस काव्य संध्या का संचालन देवमणि पांडेय ने किया।

रविवार 30 नवम्बर 2025 को केशव गोरे स्मारक ट्रस्ट गोरेगांव के मृणालताई हाल में आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत में अभिनेता

सांस्कृतिक धरोहर और संग्रहालयों का डिजिटलीकरण

सरकार सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण, संग्रहालयों के डिजिटलीकरण और सांस्कृतिक प्रसार में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, संवर्धित वास्तविकता और अन्य उन्नत तकनीकों के उपयोग को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है। इनसे संबंधित विभिन्न पहलों में राष्ट्रीय संस्मारक एवं पुरावशेष मिशन (एनएमएमए), संग्रहालय डिजिटलीकरण पहल, वर्चुअल रियलिटी (वीआर) और संवर्धित वास्तविकता (एआर) आदि का उपयोग कर रहा है।

अब तक राष्ट्रीय स्तर के 8 प्रसिद्ध

जन्म "डॉलर सिटी" में हुआ था, जो अपनी एक मजबूत पहचान वाला स्थान है, फिर भी उन्होंने डॉलर सिटी के उन लोगों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करना चुना जो उत्पीड़ित, हाशिए पर पड़े या वंचित समुदायों से थे।

प्रधानमंत्री ने बताया कि बचपन में श्री सी.पी. राधाकृष्णन को एक बार मृत्यु का अनुभव हुआ था जब वे अविनाशी मंदिर के तालाब में डूबते-डूबते बचे थे। उन्होंने बताया कि सभापति और उनका परिवार अक्सर उनके बच जाने को ईश्वरीय कृपा बताते हैं। एक और जानलेवा घटना का जिक्र करते हुए, प्रधानमंत्री ने कोयंबटूर में हुए विनाशकारी बम विस्फोट का जिक्र किया जो श्री लाल कृष्ण आडवाणी की निर्धारित यात्रा से कुछ समय पहले हुआ था। इस विस्फोट में लगभग 60 से 70 लोगों की जान चली गई थी और सभापति बाल-बाल बच गए थे।

श्री मोदी ने कहा, "इन घटनाओं

जारी है। 2. कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता: इस स्कीम में निम्नलिखित घटक शामिल हैं :

.. राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य पूरे देश में कला और संस्कृति के संवर्धन में शामिल राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों का संवर्धन और उन्हें सहायता प्रदान करना है। यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते

हुए राष्ट्रीय महत्व के हों और जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत 5 वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के तहत सहायता प्रदान की जाती है। तक है जिसे विशेष मामलों में 5.00 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। . सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को संवर्धित एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपए होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है।

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को संवर्धित एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपए होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है।

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को संवर्धित एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपए होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है।

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को संवर्धित एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपए होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है।

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को संवर्धित एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपए होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है।

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को संवर्धित एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपए होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है।

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को संवर्धित एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपए होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है।

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को संवर्धित एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपए होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है।

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को संवर्धित एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपए होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है।

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को संवर्धित एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपए होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है।

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को संवर्धित एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपए होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है।

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को संवर्धित एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपए होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है।

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को संवर्धित एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपए होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है।

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को संवर्धित एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपए होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है।

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को संवर्धित एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपए होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है।

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को संवर्धित एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपए होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है।

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को संवर्धित एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपए होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है।

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को संवर्धित एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपए होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है।

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को संवर्धित एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपए होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है।

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को संवर्धित एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपए होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है।

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को संवर्धित एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपए होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है।

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को संवर्धित एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपए होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है।

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को संवर्धित एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपए होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है।

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को संवर्धित एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपए होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है।

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हि

विश्व एड्स दिवस, डीएम ज्ञानेंद्र सिंह ने कलेक्ट्रेट से जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाई

सीएमओ आलोक कुमार के नेतृत्व में स्कूली बच्चों ने बैनर थामे संदेश दिया – पुलिस सुरक्षा में मुख्य मार्गों से गुजरी, भेदभाव मिटाने व फ़्री जांच की अपील

(जीएनएस)।पीलीभीत, 1 दिसंबर आज विश्व एड्स दिवस के उपलक्ष्य में एक भव्य जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर से इस रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी (उटड) आलोक कुमार के निर्देश पर निकाली गई यह रैली लक्ष्य/एड्स के प्रति जनता को जागरूक करने और इससे जुड़े सामाजिक कलंक को दूर करने का प्रमुख माध्यम बनी। शहर भर में सकारात्मक माहौल छाया रहा, जहां सैकड़ों लोग शामिल हुए।

रैली का पूरा विवरण:



रैली कलेक्ट्रेट से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों – स्टेशन रोड, सदर बाजार और गणेश गंज होते हुए वापस कलेक्ट्रेट पर समाप्त हुई। उटड आलोक कुमार के आह्वान पर विभिन्न स्कूलों के सैकड़ों छात्र-छात्राओं ने बड़-चड़कर भाग लिया। उनके हाथों में रंग-बिरंगे बैनर और तस्वियां थीं,

जिन पर लिखा था – "एड्स से बचाव ही सबसे बड़ा उपचार है", "संक्रमितों के साथ भेदभाव न करें, समान व्यवहार करें", "जागरूक रहें, स्वस्थ रहें"। बच्चों के उत्साहपूर्ण नारों ने राहगीरों का ध्यान खींचा और कई दुकानदार व स्थानीय लोग भी रुककर संदेश को समझा। रैली के दौरान कोई

अव्यवस्था न हो, इसके लिए प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात किया। ट्रैफिक पुलिस ने मार्ग सुचारू रखा, वाहनों को वैकल्पिक रूट दिए।

DM व CMO की अपील: जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने रैली को हरी झंडी दिखाते हुए कहा, "एड्स के खिलाफ लड़ाई में जागरूकता ही सबसे मजबूत हथियार है। हमें सही जानकारी फैलानी चाहिए और संक्रमित लोगों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। सबको समान अधिकार हैं।" उन्होंने सभी नागरिकों से एचआईवी जांच कराने और सुरक्षित जीवनशैली अपनाने की सलाह दी। CMO आलोक कुमार ने बताया कि जिले के सभी सेहत केंद्रों व अस्पतालों पर निशुल्क लक्ष्य जांच, काउंसलिंग और दवाओं की सुविधा उपलब्ध है। "कोई शर्म न करें, समय पर जांच से जीवन बचाया जा सकता है।" उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर कई अन्य कार्यक्रम जैसे सेमिनार व कैंप भी चल रहे हैं।

प्रभाव व पृष्ठभूमि: यह रैली विश्व एड्स दिवस की थीम "Let Communities Lead" के अनुरूप थी, जो समुदाय की भूमिका पर जोर देती है। पीलीभीत में एड्स प्रभावितों की संख्या नियंत्रण में है, लेकिन जागरूकता से इसे और कम किया जा सकता है। स्थानीय लोगों ने रैली की सराहना की – "बच्चों का जोश देखकर अच्छा लगा, संदेश घर-घर पहुंचेगा।" स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि आने वाले दिनों में गांव-गांव में अभियान चलाएंगे।

किशोरी पर रिश्तेदारों का बेरहमी से हमला, शौचालय विवाद में बांका से वार

(जीएनएस)। पीलीभीत,1 दिसंबर जहानाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम गहलुईया में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना। 15 साल की किशोरी पर रिश्तेदारों ने शौचालय के विवाद में बेरहमी से हमला किया। 23 नवंबर रात 12 बजे भागवत कार्यक्रम से लौटी किशोरी बाहर शौचालय जा रही थी, तभी रिश्तेदार हरेंद्र व पत्नी शगुन देवी



ने विरोध शुरू कर गाली-गलौज की। प्रतिक्रोध पर हरेंद्र ने बांका से वार कर गंभीर घायल किया।

घटना विवरण: चीखें सुन परिवार पहुंचा, आरोपी धमकी देकर भागे। मां कमलेश कुमारी (पत्नी हरनाम सिंह) की तहरीर पर थाना प्रभारी प्रदीप विश्‍नोई ने मुकदमा दर्ज – IPC 323, 504, 506, 326। घायल को अस्पताल में भर्ती। प्रभारी बोले,गिरफ्तारी जल्द की जाएगी।"

टाइगर रिजर्व : बाधिन शावकों संग सड़क पर टहलावट से टूरिस्ट दहशत में

10 मिनट ट्रैफिक जाम – वीडियो वायरल, रिजर्व 15 दिन पहले खुला, चूका बीच 'मिनी गोवा' पर रिकॉर्ड बुकिंग, 80 बाघ व 326 पक्षी प्रजातियां

(जीएनएस)। पीलीभीत, 1 दिसंबर पीलीभीत टाइगर रिजर्व (ढळफ) में रविवार को एक रोमांचक नजारा देखने को मिला। खटीमा मार्ग पर लाल पुल के पास एक बाधिन अपने दो शावकों के साथ सड़क पर टहलने लगी। टूरिस्टों को देखते ही सब सहम गए – गाड़ियां रुक गई, करीब 10 मिनट तक दोनों तरफ ट्रैफिक जाम। च़पचाप खड़े



होकर लोग वीडियो बनाते रहे, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। वन विभाग ने कहा, "प्रकृति का कमाल, लेकिन सतर्क रहें।" घटना का पूरा विवरण:

बाधिन व शावक सड़क पर चहलकदमी करते रहे, टूरिस्ट उत्साहित लेकिन डरे। ढळफ 15 जून से मानसून में बंद रहता, लेकिन इस बार बढ़ती मांग पर 15 दिन पहले खोल दिया।

रिकॉर्ड एडवांस बुकिंग – खासकर चूका बीच, जो 'मिनी गोवा' कहलाता। यहां वाटर फ्रंट व्यू, बैबू हट्स, बोट सफारी ने पर्यटकों को दीवाना बना दिया। 9 नवंबर तक हट्स (बैबू, थारू, ट्री)

फुल बुक, वाइल्डलाइफ फोटोग्राफी का स्वर्ग। ढळफ ने टाइगर संख्या बढ़ाने पर अर्वाँड भी जीता।

रिजर्व की खासियतें: 72,689 हेक्टेयर (730 वर्ग किमी) में फैला ढळफ – 80 बाघ, तेंदुए, भालू, हिरण व 326+ पक्षी प्रजातियां। उत्तर में नेपाल बॉर्डर, दक्षिण में शारदा-खकरा नदियां, पूर्व-पश्चिम घने जंगल। आकर्षण: जंगल-बोट सफारी, कैंपिंग, शारदा सागर डैम व्यू, सप्त सरोवर ट्रेल। बराही-महोफ रेंज बाघ व बर्ड्स के लिए बेस्ट। बिग कैट व बर्ड लवर्स के लिए जन्त।

वन अधिकारी बोले, "टूरिज्म बूस्ट, लेकिन नियम पालन जरूरी।" में पूरनलाल परेशान दिखे, अधिकारियों-व्यापारियों से माल को लेकर बहस। धमकी मिली – 'कोर्ट जाओ'। माल अभी भी गोडाउन में, अपहरण या अनहोनी की आशंका।" परिवार चेतावनी – FIR, हाई-लेवल जांच, सुरक्षित बरामदगी, वरना जिम्मेदार बांद्रा वाले।

व्यापारी पूरनलाल राठौर का बांद्रा टर्मिनस से लापता मामला गहराया

10 नवंबर से गायब, मोटरसाइकिल जब्त, गोडाउन में माल पड़ा, परिजनों ने CM से मदद मांगी – कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन, अपहरण की आशंका (जीएनएस)। पीलीभीत, 1 दिसंबर सुखदासपुर नरोलिया गांव के 45 वर्षीय व्यापारी पूरनलाल राठौर 10 नवंबर से रहस्यमय ढंग से लापता हैं। 3 नवंबर को 7 किंवटल गुड़-चावल का माल लादकर अपनी लूना मोटरसाइकिल

(UP262-4534) से बांद्रा टर्मिनस गए थे। 4 नवंबर को माल गोडाउन में उतारा, मुंबई के कल्याण रिश्तेदारों के पास रूके। 10 नवंबर को "माल बेचकर लौटूंगा" कहकर निकले, उसके बाद मोबाइल बंद, कोई सुराग नहीं। जोगेश्वरी के ट्रैफिक पुलिस को उनकी बाइक जब्त मिली।

परिजनों की शिकायत: छोटे भाई शंकर लाल राठौर ने मुंबई पुलिस में गुमशुदगी दर्ज कराई, लेकिन कार्रवाई न होने पर पीलीभीत कलेक्ट्रेट पर ग्रामीणों संग प्रदर्शन। CM योगी को ज्ञापन SDM को सौंपा – महाराष्ट्र सरकार से मदद की गुहार। शंकर बोले, "गोडाउन फूटेज

में पूरनलाल परेशान दिखे, अधिकारियों-व्यापारियों से माल को लेकर बहस। धमकी मिली – 'कोर्ट जाओ'। माल अभी भी गोडाउन में, अपहरण या अनहोनी की आशंका।" परिवार चेतावनी – FIR, हाई-लेवल जांच, सुरक्षित बरामदगी, वरना जिम्मेदार बांद्रा वाले।

पन्द्रह लाख का ठेका, आम जनता से वसूली हसनगंज पुलिस बनी मूकदर्शक

(जीएनएस)। लखनऊ। आपको बताते चलें हसनगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत कतकी मेला में सड़क बनी अवैध पार्किंग का अड्डा सड़क पर पार्किंग होने की वजह से आवागमन में लोगों को हो रही है परेशानी मेला संचालक सनी गुप्ता के इशारे पर सड़क पर लगाई जा रही है पार्किंग नियमों को ताक पर रखकर चलाया जा रहा है मेला समिति के नाम पर हो रही है जमकर उगाई नगर निगम के नए मानकों के विपरीत

जमकर हो रही है धन उगाही स्कूटर/मोटरसाइकिल की ₹10 कि दर तय है इसके विपरीत 30 रुपये में प्रति गाड़ी ले रही है ठेकेदार के गुणों कारों से भी ₹30 की जगह ₹100 की वसूली की जा रही है पृछने पर बताया 3 लाख रुपए का ठेका इस बार 15 लाख का हुआ है कहाँ से पैसा वसूला जायेगा पुलिस का भी हिस्सा तय हसनगंज पुलिस की नाक के नीचे हो रहा है नंगा नाच हसनगंज पुलिस व चौकी इंचारज की वसुली में है मौन



स्वीकृति धारण किए नजर आ रहे है

बनकोटा पर रोडवेज बस ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर बाइक सवार की मौके पर हुई दर्दनाक मौत बस चालक मौके से हुआ फरार

बदायूं वजीरगंज आज दिनांक 1/12/25 को बबलू यादव सन ऑफ रामगोपाल यादव निवासी ग्राम सिचौली के रहने वाले थे सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि बबलू यादव सन ऑफ रामगोपाल यादव अपनी बहन को बिठाकर घर लौट रहा था तभी तेज रफ्तार रोडवेज बस ने सामने से जोरदार टक्कर मार दी जिससे बबलू यादव की मौके पर

दर्दनाक मौत हो गई और बस चालक मौके से फरार हो गया सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची थाना वजीरगंज पुलिस ने रोडवेज बस को अपने कब्जे में लिया एवं शव का जांच पड़ताल कर एवं पंचनामा भर के शव को



पोस्टमार्टम के लिए बदायूं भेजा

राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत से मोहित हिंदू में काफी शोक संवेदना

(जीएनएस)। मसौली बाराबंकी आपको बता दे पूरा मामला वन रेंज व थाना मसौली जनपद बाराबंकी जनपद बाराबंकी के मोहल्ला भूलीगंज स्थित डॉ रोहित के खेत में सागीन की बाग लगी हुई है उसी में एक राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत हुई है इसके बाद मौके पर पहुंचकर इस बात की सूचना क्षेत्राधिकार व वन दरोगा सतीश मिश्रा को दिया इसके बाद एक-एक करके काफी ग्रामीण एकत्रित हो गए घंटों इंतजार के बाद वन विभाग की टीम देर से पहुंचने पर



ग्रामीणों में काफी आक्रोश व बिना कित के राष्ट्रीय पक्षी मोर को एक

बोरी में लपेटकर ले जाने को लेकर मुंह पर तमाचे जैसा लगा इसके बाद वन विभाग की टीम पोस्टमार्टम के लिए ले गई जिसमें हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के जिला प्रभारी (छोटा योगी) मोहित हिंदू ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद सिद्ध हो पाएगा कि किस कारण राष्ट्रीय पक्षी मोर मौत हुई है उसके बाद ही दाह संस्कार सा सम्मान किया जाएगा इस मौके पर जितेंद्र वर्मा शुभम वर्मा किसान नेता राहुल गुप्ता सहित कई क्षेत्रीय ग्रामीण उपस्थित रहे।।

जर्जर सड़कों पर भड़का आक्रोश, विधायक राज सिन्हा का अनिश्चितकालीन धरना शुरू, 48 घंटे का अल्टीमेटम

(जीएनएस)। धनबाद : शहर की जर्जर सड़कों का निर्माण,नालियों के निर्माण,

विभिन्न वाडों में स्ट्रीट लाइट, यूजर चार्ज और टैक्स देने के बाद भी धनबाद की आम जनता के कार्य नहीं होने के विरोध में, अविलंब निर्माण की मांग को लेकर आज धनबाद में आक्रोश खुलकर सामने आया। झारखंड विधानसभा के सचेतक सह धनबाद विधायक राज सिन्हा ने नगर निगम मुख्यालय के सामने प्रभावित आमलोगों,समर्थकों और सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ अनिश्चितकालीन धरने की शुरूआत की।

सुबह से ही बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एकत्रित हुए और नगर प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारे लगाए। धरना स्थल पर विधायक ने स्पष्ट चेतावनी दी— '48 घंटे के भीतर अगर सड़क मरम्मत पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो मैं नगर निगम कार्यालय की चौखट पर धरना दूंगा।

आगे स्थिति यथावत रही तो नगर आयुक्त के चैंबर के बाहर भी आमरण आंदोलन करेंगे।'

उन्होंने धनबाद की प्रमुख सड़कों— बरटांड पंडित क्लीनिक रोड, राजकीय पॉलीटेक्निक—

ठप होने से परेशान है। नगर निगम की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।'



उन्होंने आरोप लगाया कि बीते छह वर्षों से सड़क निर्माण की लगातार मांग की जा रही है, परंतु हर बार नगर निगम और राज्य सरकार अउड़ जांच का हवाला देकर फाइल दबा देती है।

विधायक ने कहा— 'टूटी-फूटी सड़कें' जनता के जीवन को नरक बना चुकी हैं। बरसात में हालात जानलेवा हो जाते हैं, मगर सरकार चुप है।'

पांडरपाला मार्ग, गांधी नगर रोड, सब्जी बगान रोड, डीएस कॉलोनी रोड, माडा कॉलोनी रोड, विनोद नगर, मनईटांड, गोल बिल्डिंग-छठ तालाब-भोक्ता मेला मार्ग, पथराकुल्ही रोड—पर तत्काल कार्य शुरू कराने की मांग की।

धरना कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे महानगर जिला अध्यक्ष श्रवण राय ने कहा—

'पूरा धनबाद विकास कार्यों के

लखन लाल मिश्र के पुत्री के वैवाहिक समारोह में पहुंचे प्रयागराज काउंसिल के राष्ट्रीय महासचिव

(जीएनएस)। लखनऊ। अनंद वेडिंग रिजॉर्ट ग्रीन कॉरिडोर लखनऊ में पत्रकार विकास काउंसिल भारत के राष्ट्रीय संरक्षक वरिष्ठ पत्रकार मान्यता प्राप्त लखन लाल मिश्र के पुत्री के वैवाहिक समारोह में पहुंचे काउंसिल के राष्ट्रीय महासचिव डीके मिश्र बीएचयू चिकित्सा विज्ञान संस्थान आईएमएस के निदेशक प्रो. एस एन संखवार, किसान मोर्चा प्रदेश कार्यालय प्रभारी आचार्य कुशमुनि स्वरूप, वरिष्ठ पत्रकार शेखर पंडित, राकेश वर्मा, सुरेश यादव, अनिल वर्मा, के के

साहनी, तरुण चतुर्वेदी, वीरेंद्र सिंह, राकेश तिवारी, नीरज महेरे, एके सेंगर, डॉ॰ जे एस शुक्ला पीजीआई, सौरभ द्विवेदी कानपुर मंडल प्रभारी, आशीष मिश्र प्रयागराज मंडल प्रभारी, संदीप सिंह, मोहम्मद सरीफ, मोहम्मद इरफान, सौरभ तिवारी, गुड्डू खान सहित बड़ी संख्या में साथी उपस्थित रहे।



एक अनसुलझा सवाल! परवेज अख्तर

आज तकनीक बहुत आगे बढ़ चुकी है, पर हम अभी भी कागजों के मकड़जाल में फँसे हुए हैं। आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, स्वास्थ्य बीमा कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बिजली स्मार्ट कार्ड,जॉब कार्ड, इसके अलावा आयुष्मान कार्ड और हर सरकारी योजना के अलग अलग कार्ड। साथ ही जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र,

पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, तथा बैंक की के.वाई.सी, अलग से। हमारा देश आज भी "कागज" और "काड्ड" की व्यवस्था में पूरी तरह उलझा हुआ है। आधा साल "कागज" बनाने में और आधा साल कागज में "संशोधन" कराने में बीतता है। संबंधित अधिकारियों के पास काम कम है,

पर उनकी टेबल और अलमारी में फाइलें ज्वादा हैं, जिसमें अधिकारी और नागरिक पूरी तरह उलझे हुए हैं। जिस कारण तमाम नागरिक अपने "उलझे" हुए जरूरी काम भी "सुलझा" नहीं पा रहे हैं। कई देशों में एक कार्ड के एक क्लिक में कार्ड धारक की पूरी अपडेट्स दिख जाती है। इतनी उन्नति के बाद आखिर हमारे यहां "एक शख्स एक कार्ड " की व्यवस्था क्यों नहीं लागू हो पा रही है ??

रेहड़िया पुलिस चौकी पर होमगार्ड रामकिशोर का रिटायरमेंट विदाई समारोह बड़े ही धूमधाम से किया गया

बदायूं रेहड़िया पुलिस चौकी पर होमगार्ड रामकिशोर निवासी ग्राम खुर्दिमपुर भूमोरी का रिटायरमेंट विदाई समारोह रेहड़िया पुलिस चौकी इंचारज मनोज कुमार एवं होमगाई दरोगा महिलापक के नेतृत्व में किया गया बता दें कि 60 वर्ष पूरे होमगार्ड विभाग में रामकिशोर को ड्यूटी करते हो गए आज 1/12/25 को रिटायरमेंट के उपलक्ष में जिला कमांडेंट द्वारा साइकिल देकर रामकिशोर को सम्मान किया इसके पश्चात रेहड़िया पुलिस चौकी इंचारज मनोज कुमार ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया होमगार्ड दरोगा महिलापाल ने कंवल देकर सम्मानित किया होमगार्ड विभाग में सभी होमगार्ड ने फूलमाला से रामकिशोर का स्वागत बड़े ही धूमधाम



से किया मौके पर उपस्थित रेहड़िया पुलिस चौकी इंचारज मनोज कुमार कांस्टेबल

संजीव कुमार एवं होमगार्ड विभाग के सभी होमगार्ड मौके पर विदाई समारोह में उपस्थित रहे

नेताओं के वक्तव्य जिला महामंत्री मानस प्रसून ने कहा कि, 'नगर निगम धनबाद की जनता का टैक्स लेता है, लेकिन सुविधा देने में नाकाम साबित हुआ है। अब भाजपा सड़क पर है—जब तक समाधान नहीं, संघर्ष जारी रहेगा।'

प्रदेश कार्यसमिति सदस्य राजकुमार अग्रवाल 'धनबाद को स्मार्ट सिटी का सपना दिखाया गया, मगर सच्चाई यह है कि सड़कें मौके पर गड़ों में तब्दील हैं। जनता का

सब्र टूट रहा है, इसलिए भाजपा उनकी आवाज बनकर खड़ी है।'

● जिला मंत्री सह मीडिया प्रभारी पंकज सिन्हा

'विधायक राज सिन्हा लगातार इस मामले को मुख्यमंत्री के समक्ष, नगर विकास मंत्री सुदीप्य कुमार सोनू के समक्ष, धनबाद उपायुक्त सहित एसीबी के तत्कालीन राज्य प्रमुख अनुराग गुप्ता सहित सभी संबंधित विभागों में लिखित एवं मिलकर भी आमलोगों को होने वाली कठिनाइयों से अवगत करा चुके है। झारखंड विधानसभा में भी कई बार इस जनहित के कार्य पे प्रश्न किया मामले को जोरदार तरीके से उठा चुके है। लड़ाई लड़ रहे हैं, पर सरकार मूकदर्शक बनी हुई है। विधायक श्री सिन्हा ने कहा कि,

जनता के हित में यह आंदोलन और आक्रामक रूप लेगा, अगर सड़क निर्माण कार्य, नाली निर्माण कार्य, स्ट्रीट लाइट सहित अन्य विकास कार्य पर तुरंत कार्य नहीं हुआ।' तो

विधायक राज सिन्हा ने कहा— स्पष्ट रोडमैप और लिखित कार्ययोजना आने तक धरना अनवरत जारी रहेगा। संध्या बेला में नगर निगम के उप नगर आयुक्त प्रकाश कुमार विधायक राज सिन्हा को मनाने धरना स्थल पे निगम के अन्य पदाधिकारियों के साथ आए। परंतु विधायक श्री सिन्हा ने स्पष्ट रूप से कार्य शुरू नहीं तक धरना जारी रखने की बात कही।

आज के अनिश्चितकालीन धरना के पहले दिन मुख्य रूप से संबोधित करने वालों में निवर्तमान वाई पार्थद अशोक पाल, मनोहरजन सिंह, मुखिया रमेशधनबाद — सिंह,जिला मंत्री नरेंद्र विवेदी, जिला मंत्री रीता यादव, साहू समाज के युवा अध्यक्ष विकास साव, सुमन सिंह अभिमन्यू कुमार, अमरजीत कुमार, रणविजय सिंह, सोनी सिंह, पुष्पा राय,महिला मोर्चा की अध्यक्ष विभा रानी सिंह, भाजयुमो अध्यक्ष नित्यानंद मंडल, मंडल अध्यक्ष राजकुमार मंडल, संजय कुशवाहा, राजाराम दत्ता, योगेन्द्र यादव, पूर्व मुखिया दीपक सिंह चौधरी, कैलाश गुप्ता , विकास मिश्रा,सुमन सिंह, मौसम सिंह , कपिलदेव पासवान, गीता सिंह, श्यामल राहा, हुलास दास, राणा सिंह, मनोज रिंकू, राजकुमार मंडल, कमल सिंह, बालमुकुंद राम, जितेंद्र कुमार, अनिल खेमका, चुना सिंह, बबलू फरीदी, आनंद खंडेलवाल, तमाल राय, अनिल सिन्हा, सतीश रजक, सत्येंद्र ओझा, सुप्रभात कुमार, सरोज शुक्ला, मदन तिवारी, श्याम गुप्ता, मेघनाथ वर्मा, पूर्व मुखिया छोटू दास, ओमप्रकाश झा, इंद्रकांत झा, प्रयाग रविदास, राहुल सिंह, बबलू सिंह, पप्पू शर्मा, सन कश्यप, विकास सिंह, अनुपम शरण, मिथुन ठाकुर, अजय मालाकार, उमेश यादव सहित हजारों आम लोग उपस्थित थे।